❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2021–22 / 6645 दिनांक 29-04-22

निमित्त,

Vishnu Kumar Agarwal,
D-46-B, Malviya Marg, C-Scheme,
Jaipur302001

विषय :– जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम– दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी –68) में क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के क्रम में।

सन्दर्भ :– आपके पत्रांक दिनांक 4.4.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली का निरीक्षण करने पर उक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पायी गई हैं। अतः इनका स्पष्ट प्रत्युतर पुनः भिजवाना सुनिश्चित करें:–

1. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि हेतु ग्राम बुचारा, तहसील पावटा जिला जयपुर के खसरा नं. 1249 / 1863 रकबा 13.72 है0 भूमि किस्म पहाड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल व खसरा नं. 1194 क्षेत्रफल 53.60 है0 भूमि किस्म पहाड का आंशिक क्षेत्रफल 18.8217 है0 कुल क्षेत्रफल 32.5417 है0 भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर में विचाराधीन है। उक्त के क्रम में संलग्न किये गये खसरा नक्शा सत्यापित नही हैं। साथ ही नक्शे में खसरा नं0 1194 स्पष्ट नही हैं। संलग्न जी.टी. शीट पर जियो रेफरेन्स किया हुये मैप में भी अन्तर हैं। अतः राजस्व नक्शा (1:40 के स्केल), जमाबंदी, जी0 टी0 शीट (1:50000 के स्केल) पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व समस्त बिन्दुओं के जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें। साथ ही विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण पहले क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली कार्यालय से करवाया जावें, ताकि पता चल सके कि गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।
2. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों / नक्शों पर हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (खनि विभाग) का नाम, पद व दिनांक अभी भी अंकित नही हैं।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट (इकजाई शीट) पर सुपर इम्पोज कर जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट अंकित कर दिये गये है, किन्तु राजस्व नक्शा (1:40 के स्केल) व जी0 टी0 शीट (1:50000 के स्केल) पर नही हैं। साथ ही खसरा नक्शें में खसरा संख्या 236 अंकित नही हैं।
4. माईनिंग ब्लॉक के लिये प्रस्तावित रकबा व सेफ्टी जोन का रकबा अलग–अलग खसरा वाईज दिया जाना प्रस्तावित हैं।
5. पूर्व मे जमा करायी गई पत्रावली के दस्तावेजों पर व उक्त संदर्भित पत्र के साथ जमा कराये गये दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता हैं।
6. आप द्वारा जमा करायी गई पत्रावली पर पृष्ट संख्या अंकित नही हैं।

अतः उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति करते हुये पूर्व मे जारी किये गये ई.डी.एस. की पूर्ति के साथ पार्ट–1 व अन्य सभी प्रमाण पत्र व अण्डरटेकिंग (सम्पूर्ण दस्तावेज) के साथ नयी पत्रावली बनाकर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– मूल पत्रावली 1 सेट में।

(सुदीप कौर) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020–21 / दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि आप प्रस्तावित स्थल का मौका निरिक्षण कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, कि प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन तो नही किया गया हैं।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 377